(वाद सं0–3406/4/32/2020)

26.11.2021

परिवादी, कमलेश्वर प्रसाद सिंह, सेवानिवृत शिक्षक, सर्वोदय उच्च विद्यालय, भगवानपुर, सारण उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, जो 31दिसम्बर 2012 को सर्वोदय उच्च विद्यालय, भगवानपुर, सारण से सहायक शिक्षक के पद से सेवानिवृत हुए है, को षष्ट्म वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में अंतर वेतन का भुगतान न करने तथा 20वर्षीय सुनिश्चत उन्यन प्रोन्नति नहीं दिये जाने से संबंधित है।

उक्त पर शिक्षा विभाग, बिहार सरकार से प्रतिवेदन की मांग की गयी। निदेशक, जल शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी, मानवाधिकार के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित निदेशक (मा0शि0), बिहार, पटना के प्रतिवेदनानुसार परिवादी के द्वारा समान आशय की एक रिट याचिका C.W.J.C. NO- 10802/2017 माननीय पटना उच्च न्यायालय में दाखिल की गयी थी, जिसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–17.07.2019 को पारित आदेश के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था0), सारण द्वारा आदेश पारित कर परिवादी के दावे को अस्वीकृत कर दिया गया।

जब समान आशय के परिवादी के याचिका पर माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में परिवादी के दावे को समुचित प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर से उक्त के संबंध में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिवादी अगर आवश्यक समझें तो इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय से ही वांछित अनुतोष हेतु याचना कर सकते है।

उक्त के आलोक में राज्य आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक